



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
डीन (छात्र) कार्यालय
OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
नई दिल्ली - ११००६७
New Delhi - 110067

Dt.02.05.2024

ADVISORY

It is informed to all concerned that Office of the Dean of Students/Inter Hall Administration building is covered under 100 meters radius rule.

“Hunger strikes, dharnas, group barging and any other form of protest within 100 meter radius of any academic and administrative complexes and/or by blocking entrance or exit of any academic and administrative complexes is a punishable act as per Rules of Discipline and Proper Conduct of Students of Jawaharlal Nehru University (under Statute 32(5) of the Statutes of the University)”.

(Rule 3 (Category II.ii) of the Chief Proctor Manual)
Approved by Executive Council of the University on 24.11.2023

M-214
02/05/2024
(Prof. Manuradha Chaudhary)
Dean of Students



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

डीन(छात्र) कार्यालय

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

नई दिल्ली/New Delhi-110067

दिनांक: 02.05.2024

परामर्शिका/सलाह

सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि डीन(छात्र) कार्यालय (DoS)/अंतरहॉल प्रशासन (IHA) भवन 100 मीटर की परिधि के नियम के तहत व्याप्त (कवर) है।

"जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 'छात्र अनुशासन एवं उचित आचरण नियमावली' (विश्वविद्यालय के परिनियम 32(5) के तहत) के अनुसार किसी शैक्षिक व प्रशासनिक भवन के 100 मीटर की परिधि के भीतर भूख हड़ताल, धरना-प्रदर्शन, अनधिकृत समूह प्रवेश और किसी प्रकार के अन्य विरोध तथा/अथवा किसी शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवन के प्रवेश अथवा निकास द्वार/मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना दंडनीय हैं।"

(चीफ प्रोक्टर मैनुअल का नियम-3 (श्रेणी II.ii))

दिनांक: 24.11.2023 को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद (EC) द्वारा अनुमोदित

M-214
02/05/2024
(प्रो. मनुराधा चौधरी)
डीन (छात्र)